न्यायालयः— न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला—अशोकनगर (पीठासीन अधिकारीः—जफर इकबाल)

Filling No.-235103002502010 परिवाद प्रकरण क.—90 / 2012 संस्थापित दिनांक—28.03.2012

1.करन सिंह पुत्र रघुवीर सिंह जाति यादव उम्र 40 साल पेशा कृषि निवासी ग्राम सलौना तहसील चंदेरी, थाना चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0।

.....परिवादी

विरुद्ध

1.शिशुपाल सिंह पुत्र धीरज सिंह जाति यादव उम्र अंदाजन 36 साल पेशा कृषि निवासी ग्राम सलोना

2.धीरज सिंह पुत्र गजराज सिंह जाति यादव उम्र अंदाजन 55 साल पेशा कृषि निवासी ग्राम सलोना

3.सेंदपाल सिंह पुत्र धीरज सिंह यादव उम्र 30 साल पेशा कृषि निवासी सलोना

4.रविन्द्र उर्फ चिन्टू पुत्र धीरज सिंह जाति यादव उम्र अंदाजन 25 साल पेशा कृषि निवासी सलोना

सभी निवासी ग्राम सलोना सभी का थाना चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0।

.....आरोपीगण

परिवादी द्वारा

:- श्री ए के शर्मा अधिवक्ता।

आरोपीगण द्वारा

:- श्री पठान अधिवक्ता।

—: <u>निर्णय</u> :— <u>(आज दिनांक 13.02.2017 को घोषित)</u>

- 01— परिवादी करन सिंह पुत्र रघुवीर सिंह जाति यादव थाना चंदेरी द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध यह परिवाद पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 294, 506बी, 504, 427 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।
- 02- प्रकरण में आरोपीगण की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।
- 03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपीगण एवं फरियादी का भा.द.वि. की धारा 294, 427 में आपसी राजीनामा होने से आरोपीगण को भा.द.वि. की धारा 294, 427 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय भा.द.वि. की धारा 190 के संबंध में पारित किया जा रहा है।
- 04— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी करन सिंह ने आरोपीगण के विरुद्ध इस आशय का परिवाद पत्र प्रस्तुत किया कि दिनांक 31.10.10 को ग्राम सलोना में शाम को 7 बजे वह अपने गुलिया वाले खेत पर गया तो उसने देखा कि उसकी

मेढ टूटी पड़ी थी और तभी आरोपीगण आ गए और उसके साथ गाली गलौच करने लगे और साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी। परिवादी के परिवाद पत्र के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध न्यायालय द्वारा धारा 294, 427, 190 भादवि के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया तथा विचारण प्रारंभ किया गया।

- 05— प्रकरण में आरोपीगण के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 294, 427, 190 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।
- 06- प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--
 - 1. क्या आरोपीगण ने 31.10.10 को समय शाम 7 बजे ग्राम सलोना लोकस्थल में आपने परिवादी करन सिंह को लोक सेवक से संरक्षा हेतु रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी दी ?

<u>—:: सकारण निष्कर्ष ::</u>—

- 07— अभियोजन ने अपने पक्ष समर्थन में परि.सा. 01 करन सिंह की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की है।
- 08— परिवादी साक्षी 01 करन सिंह ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपीगण को जानता है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को उसका आरोपीगण से वाद विवाद हो गया था जिस पर से उनकी तूतू—मैंमैं हो गई थी। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपीगण ने उसे रिपोर्ट करने से रोकने के लिए जान से मारने की धमकी दी थी। परिवादी द्वारा उपरोक्त साक्षी के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। परिवादी साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता कि उक्त घटना दिनांक को आरोपीगण द्वारा परिवादी को लोक सेवक से संरक्षा हेतु रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी दी। परिणामतः आरोपीगण को भादि की धारा 190 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 09— आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।
- 10- प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति कुछ नही है।
- 11— आरोपीगण अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)